भामाब/वित्त/म्ख्यालय/प्रपत्र(10)/2021

<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u> वित्त विभाग

विषय: वर्ष 2021-22 के लिए आय कर परिकलन के प्रयोजन के लिए विवरण

यह परिपत्र हमारे परिपत्र संख्या BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (06)/2021 दिनांक 02.07.2021 के संदर्भ में है जिसके माध्यम से भा मा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स, को 20 जुलाई 2021 तक निर्धारित प्रोफार्मा (F 48 सेवारत कर्मचारियों के लिए और F 48A पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी) में अपनी बचत के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध दिया गया था।

इस संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि प्रपत्र 16 को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों द्वारा देखने के लिए online कर दिया गया है | अतः यह निर्णय लिया जाता है कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक बचत का प्रमाण पत्र वित्त विभाग को जमा नहीं कराया है, उन्हें एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है कि वे सभी कर्मचारी और पेंशनभोगी बचत के प्रमाण पत्र या तो ईमेल के माध्यम से या फिर हार्ड कॉपी के माध्यम से 18.12.2021 तक जमा करा सकते हैं, अन्यथा उन बचत विवरणों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और आय कर की पुन: गणना की जाएगी और तदनुसार दिसंबर 2021/जनवरी/फरवरी 2022 के वेतन से आय कर की कटौती की जायेगी |

हस्ता (विनोद कुमार) निदेशक (वित्त)

हमारा संदर्भ: वित्त/2.37/आय कर/2021-22

दिनांक: 08.12.2021

परिचालित सेवा में भा मा ब्यूरो इंटरनेट के माध्यम से :

- सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान/केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रमुख
- म्ख्यालय के सभी विभागों के प्रमुख
- भा मा ब्यूरो के सभी अधिकारी एंवम कर्मचारी
- भा मा ब्यूरो के सभी पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर

प्रतिलिपि - जानकारी के लिए :

• महानिदेशक/अपर महानिदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी/सभी उपमहानिदेशक

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंट्रानेट पर रखने के लिए

BIS/FIN/HQ/Circular(10)2021

BUREAU OF INDIAN STANDARDS (FINANCE DEPARTMENT)

SUBJECT: PARTICULARS FOR THE PURPOSE OF INCOME TAX CALCULATION

FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22

This has reference to our circular Number BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (06)/2021 dated 02.07.2021 vide which all employees/pensioners/family pensioners of BIS, were requested to furnish

the particulars of their savings in the prescribed Proforma (Form 48 for serving employees and Form

48A for pensioners/family pensioners) by 20th July 2021.

In this regard, it is stated that the form 16 has been made live for viewing by the employees/pensioners. It has now been decided to give the opportunity to all the employees who

have not yet submitted the proof of the savings, can submit the same by 18.12.2021 either

through email or by hard copy to Finance Department, failing which the exemption of tax saving will

not be taken into account and the income tax shall be re-calculated and accordingly deducted from

the salary of December 2021/January/February 2022.

SD/-

(VINOD KUMAR) **DIRECTOR (FINANCE)**

Our Ref: FIN/2.37/Income Tax/2021-22

दिनांक: 08.12.2021

Circulated through Intranet to:

Heads of ROs/BOs/CL/NITS

• Heads of all Departments at HQ

All Official of BIS

• All pensioners and family pensioners of BIS

Copy for Information:

• DG/ADG/CVO/ All DDGs

Copy to: ITSD - for uploading on BIS Intranet